Year-8; Sept. 2017
ISSN–2231-1130
UGC Sr. No. – 48398
VEETHIKA

भारतीय लोकतंत्र के सन्दर्भ में डा0 भीम राव अम्बेडकर के विचार

मो0 अब्दुर्रब सिद्दीकी*

आलिया खातून**

भारतीय दलित समाज के मसीहा डा0 भीम राव रामजी अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान में हुआ था तथा 6 दिसम्बर 1956 का उनका निधन हुआ (फाडिया बी. एल : 2015)। उनका सम्पूर्ण जीवन सामाजिक सुधार के श्रेष्ठतम कार्य को समर्पित था। वो समाजिक रुढिवादिता, जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहे। उनका राजनीतिक दर्शन सामाजिक चिन्तन पर ही आधारित था। वो सामाजिक समानता मौलिक अधिकार मानवीय न्याय समाजवाद और देश की एकता और अखण्डता के लिए सघर्षरत रहे ताकि लोकतंत्र की स्थापना में कोई बाधा उत्पन्न न हो । डा0 अम्बेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और प्रथम विधि मंत्री के रूप में भारत देश की सेवा की। उनका मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता से पूर्व सामाजिक सुधार अपेक्षित है। वो सामाजिक संरचना में आमूल चूल परिवर्तन चाहते थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में उनका प्रशंसनीय योगदान रहा हैं।

संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर 1946 को आयोजित हुआ (खन्ना मनुका : 2013)। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कार्य प0 जवाहर लाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित करना था जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने अंगीकृत किया (खन्ना मनुका : 2013)। भारत के संविधान में वह उद्देशिका संविधान के लक्ष्य एवं पथ प्रदर्शक के रूप में विद्यमान है। संविधान के प्रमुख लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं को प्रस्तावना में प्रस्तुत किया गया है। 1976 में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित प्रस्तावना इस प्रकार है (खन्ना मनुका : 2013)। हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार,, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समाता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ई0 (निति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा में प्रारूप समिति का गठन किया तथा डा0 भीम राव अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष चुने गये(अग्रवाल आर.सी : 2010)। सविधान की प्रस्तावनाा में निहित उद्देश्य डा0 भीम राव अम्बेडकर के राजनीति दर्शन में मिलता है। उन्होंने समाजिक रूढ़िवादिता, जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करके सामाजिक समानता, मानवीय न्याय, समाजवाद और देश की एकता और अखण्डता को सुनिश्चित कर वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास किया। सरकार राज्य की संस्था है। और ये समाज के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार के कई रूप हो सकते है लेकिन डा0 अम्बेडकर ने अपने चिन्तन में केवल लोकतंत्रात्मक सरकार को ही जगह दिया है। डा0 अम्बेडकर के लिए लोकतत्रात्मक सरकार का समाज से गहरा सम्बन्ध है वो अपने चिन्तन में लोकतांत्रात्मक सरकार के प्रतिनिधि रूप, व्यस्क मताधिकार और समय–समय पर होने वाले चुनावों से संतुष्ट नही होते। उन्होने अपनी पुस्तक '' रानाडे, गांधी, एवं जिन्ना में लिखा है कि एक लोकतंत्रात्मक सरकार अपने पीछे एक लोकतंत्रात्मक समाज की अपेक्षा रखती है (अम्बेडकर बी.आर.:

* शोध छात्र–राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी

** शोध छात्रा–शिक्षाशास्त्र विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

1943)। अपने दर्शनिक विचारों में डा0 अम्बेडकर उन चिन्तकों के दर्शन की आलोचना करते हैं जिन्होने लोकतंत्रात्मक सरकार को प्रतिनिधि सरकार के रूप में केवल चुनावों तक सीमित कर दिया है। उनका मानना है कि सरकार का काम समाज के अन्तिम उद्देश्यों, लक्ष्यों, और इच्छाओ को चरितार्थ करने का है और यह तभी सम्भव है जब स्वयं उस सरकार का समाज लोकतंत्रात्मक स्वरूप का हो यदि समाज लोकतंत्रात्क नही है तो सरकार भी लोकतांत्रिक नही हो सकती। इस प्रकार डा0 अम्बेडकर सरकार के लोकतंत्रात्क स्वरूप को सच्चा और गहरा अर्थ देते है। उनके अनुसार लोकतंत्रात्मक की सफलता समाज के लोगों की मानसिकता पर निर्भर होती है। यदि जनता की मानसिकता लोकतंत्रात्क स्वरूप की नही है तो उनसे बनी लोकतंत्रात्क सरकार बड़ी जल्दी एक खतरनाक सरकार बन जाती है (धर्मवीर : 2015 पृष्ठ 66)। ऐसे शासक कानून और न्याय का अपने वर्ग के हित में निमार्ण और उसकी व्याख्या करने लगते है। इसलिए डा0 अम्बेडकर सावधानी बरतते हुए लिखते है कि– लोकतंत्र राजनैतिक मशीन से अधिक कुछ है। यह समाज व्यवस्था से भी अधिक कुछ है। यह लोगों का मानसिक दृष्टिकोण और उनका जीवन दर्शन है(धर्मवीर : 2015 पृष्ठ 66)। इस प्रकार उन्होने वास्तविक लोकतंत्र की कल्पना की है। समाजवाद को बढ़वा देने के लिए डा0 अम्बेडकर समाज की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक और सेवा सम्बन्धी गतिविधियों को सरकार के क्षेत्र में लाना चाहते थे क्योंकि धनवान व्यक्ति सरकार के भरोसे पर नही रहता। एक धनी व्यक्ति को किसी स्कूल की आवश्यकता नही है क्योंकि वो अपने बेटे को बिना स्कूल या कालेज भेजे घर पर ही अच्छे टीचर को रखकर शिक्षा दिलवा सकता है। धनी व्यक्ति को किसी अस्पताल की आवश्यकता नही है वो डाक्टर को अच्छी फीस देकर अपना और अपने परिवार का बेहतर इलाज करा सकता है समाज का वो गरीब आदमी है जिसे जन सेवाओं की सबसे अधिक आवश्यकता है राज्य की इस जिम्मेदारी और कार्यकलाप को उन्होने समाजवाद का नाम दिया है और इसकी 3 मुख्य विशेषताएं बताई है (धर्मवीर : 2015 पृष्ठ 70)।–

1. मूल उद्योग राज्य के स्वामित्व होगे।
2. बीमा क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार रहेगा।
3. कृषि राज्य का उद्योग मानी जाएगी।

डा0 अम्बेडकर के राजनैतिक लोकतंत्र का भवन निम्नलिखित चार मुख्य खम्भों पर खड़ा है (धर्मवीर : 2015 पृष्ठ 70)।

1. व्यक्ति अपने आप में साध्य है।
2. व्यक्ति के किसी को न दिये जा सकने वाले कुछ निजी अधिकार होते हैं जिनकी संविधान द्वारा गारंटी दी जानी चाहिये।
3. व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नही रखी जायेगी कि किसी विशेष अधिकार की प्राप्ति की शर्त में उसे अपने संवैधानिक अधिकारों में से कोई छोड़ना पड़ेगा।
4. राज्य अपनी शक्तियां प्राइवेट व्यक्तियों को दूसरों पर शासन करने के लिये डेलिगेट नही करेगा।

इसके अतिरिक्त डा0 अम्बेडकर का कहना है कि किसी भी समाज की राजनैतिक या आर्थिक व्यवस्था में शासन केवल सरकार के पास रहना चाहिए। डेलिगेशन के नाम पर व्यक्ति पर दोहरे, तिहरे, और चौहरे शासन को वह उचित नही समझते थे(धर्मवीर : 2015 पृष्ठ 70)। संविधान सभा में डा0 अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष की हैसियत से सदैव प्रयत्नशील रहे कि संविधान में ऐसे प्रावधान सम्मिलत किए जाय जिससे देश में समाजिक न्याय की स्थापना की जा सके। डा0 भीम राव अम्बेडकर का आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है डा0 अम्बेडकर की अपने समय के अन्य विचारकों से अलग विशेषता यह थी कि वह जीवन भर भारत की सबसे दलित, पीड़ित और पिछड़ी जातियों के लिए संघर्षरत रहे।

डा0 अम्बेडकर का चिन्तन इस देश से सम्प्रदायवाद और जातिवाद की समाजिक बुराइयों को समाप्त कर सकने में असमर्थ रहने के कारण सम्प्रदायवाद और जातिवाद को ऐसे रूप में मान्यता दे गया जिससे उनमे समानता आ जाए और ये आपस में एक दूसरे की बुराईयों को समाप्त कर सके। दलितों के लिए आरक्षण की मॉग उनके इसी

चिन्तन का परिणाम रही तमाम विरोधों के बावजूद आखिर संविधान सभा ने डा0 अम्बेडकर के दलितों के लिए आरक्षण की मॉग स्वीकार कर लिया आज आरक्षण के माध्यम से ही दलितो की स्थिति में काफी सुधार हुआ।

डा0 अम्बेडकर एक व्यवहारिक दार्शनिक थे कोई भी सिद्धांत सामने रखते हुए वो उसे उसके व्यवहार से परखते थे इसीलिए उन्होंने भारत की साम्प्रदायिक समस्या को एक सच्चाई माना था उन्होंने इससे बचकर चलने का प्रयास नही किया बल्कि एक ईमानदार दार्शनिक की तरह उन्होंने इसकी शक्तियों को समझा और स्वीकार किया है उन्होनें इस सम्बन्ध में गोल मेज परिषद मे कहा था।

मैं यह नही भूल सकता है कि भारतीय लोग साम्प्रदायिक सोच के लोग है हम यह आशा जरूर कर सकते है कि एक ऐसा समय आएगा जब भारत के लोग अपने प्रशासनिक मामलों के हल में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से देखना छोड़ देंगे लेकिन यह एक आशा ही होगी सच्चाई नही इसके विपरीत सच्चाई ये है कि ''यदि भारतीय लोगों को कानून के प्रशासन में स्वविवेक का अधिकार दिया गया तो वो वर्ग और वर्ग में समुदाय और समुदाय में भेद करेंगें(धर्मवीरः2015 पृष्ठ 26)।

साम्प्रदायिकता के साथ–साथ उन्होनें जातिवाद का भी विरोध किया है वह अच्छी तरह समझ चुके थे कि साम्प्रदायिकता की तरह जातिवाद भी हिन्दुस्तानी समाज की एक वास्तविकता है हर हाल मे इसके अस्तित्व को मानना है डा0 अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा नही मिट सकती है तो न मिटे पर इसके सामाजिक दुर्गुण तो समाप्त हो जाए इसके लिए उन्होने जाति प्रथा को स्वीकार करके इसके लाभ दलितो को भी सुलभ करवा दिए (धर्मवीरः2015 पृष्ठ 30)। ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यदि डा0 अम्बेडकर की संविधान सभा मे सक्रिय भूमिका न होती तो दलितों के उत्थान के लिए जो प्रावधान संविधान में है,न होते अब यहॉ एक प्रश्न है कि क्या उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की धारणा वंचित वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सकने में सफल हुई? यदि इस प्रश्न का उत्तर आज के मौजूदा हालात में देखे तो वंचित वर्ग को पूर्ण रूप से सामाजिक न्याय तो नही मिला परन्तु बहुत वंचित वर्गो की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ आरक्षण का लाभ लेकर लोग ऊँचे पदों पर आसीन हुए फिर भी कुछ घटनॉए ऐसी होती है जिसमें वंचित वर्ग शोषित नजर आता है अम्बेडकर के अनुसार भारत में जाति प्रथा का समर्थन सर्वप्रथम इस आधार पर किया जाता है कि जाति प्रथा श्रम के विभाजन का एक अन्य नाम ही है यदि श्रम का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक लक्षण है।

तो बात सही है कि जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है अम्बेडकर इस विचार के विरूद्ध तर्क देते हुए कहते है ''जाति प्रथा केवल श्रम विभाजन नही है यह श्रमिकों का विभाजन भी है यह एक श्रेणी बद्ध व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम मे होता है'' अम्बेडकर जाति प्रथा का सदैव विरोध करते रहे वास्तव में वह जाति प्रथा के विरोधी नही बल्कि जाति की बुनियाद पर होने वाले भेद–भाव के विरोधी थे उनका सम्पूर्ण चिन्तन जाति प्रथा के उन्मूलन के इर्द–मिर्द घूमता दिखाई देता है हमारे संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य भी यही रहा है और इसी लक्ष्य सामने रखकर संविधान में ऐसे प्रावधानों का समावेश किया गया जिससे समाज में समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित हो सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यह रूप डा0 अम्बेडकर की अध्ययन शीलता, उनके संघर्ष, उनके विचारों एवं अनुभव का परिणाम है यदि प्रस्तावना के वाक्यो के अनुसार उनके विचारों पर दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होता हे कि उनके विचारों से भारतीय संविधान और प्रस्तावना अर्थात संविधान का लक्ष्य किस प्रकार प्रभावित हुआ संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना में मिलता है संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को निम्नलिखित अधिकार दिलाना है।

1. न्याय–सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक,
2. स्वतंन्त्रता–विचार,मत,विश्वास, तथा धर्म की,

3. समानता–पद एवं अवसर की,
4. बन्धुत्व–व्यक्ति की गारिमा और राष्ट्र की एकता के लिए।

संविधान की प्रस्तावना से ही ये मालूम होता है संविधान का स्त्रोत जनता है और भारतीय संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है एक तरफ भारतीय संविधान उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिकार प्रदान करता है वहॉ दूसरी ओर उसका लक्ष्य देश की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना भी है व्यक्ति का विकास कहीं सम्पूर्ण राष्ट्र के विकास में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बन्धुत्व की भावना पर बल दिया गया है।

लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब वह जनता में बन्धुत्व की भावना को जाग्रत करने में सफल हो सकें। प्रत्येक व्यक्ति में ये भावना होनी चाहिए कि हम सभी एक ही भूमि के, एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। ये भारत जैसे देश के लिए और भी आवश्कता है क्योंकि यहॉ के लोग विभिन्न मूल वंश, धर्म, भाषा, और संस्कृति वाले है।

उपाधियो का अंत (अनु0–18) अस्पृश्यता निवारण (अनु0–17) और भारतीय समाज की अनेक कुरीतियों को दूर करके प्रस्तावना के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। स्वतंत्रता, समानता, और बन्धुत्व जिसे संविधान द्वारा भारत वासियों को प्रदान करने का प्रयास किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मुख्य लक्ष्य हैं। हमारे संविधान–निर्माता भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना चाहते थे प्रस्तावना में भी समाजवाद शब्द का उल्लेख है स्पष्ट है कि वो भारत में एक समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहते थे जिसका उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो।

डा0 भीमराव अम्बेडकर ने भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित उद्देश्यों के आधार पर भारतीय व्यवस्था की परिकल्पना की थी। अपने विवादास्पद विचारों के कारण गॉधी व कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक विद्वान विधिवेदत्ता की थी। जिसके कारण 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार में उन्हें कानून मंत्री के तौर पर सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया साथ ही संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी नियुक्ति किया गया इस कार्य में अम्बेडकर का समानता स्थापित करने एवं दलितों के उत्थान के लिए किया गया संघर्ष काम आया। संविधान सभा मे उन्होनें दलितों के साथ हो रहे भेद–भाव को समाप्त कर समानता स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा की। उन्होनें नागरिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान की जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत और सभी प्रकार के भेद–भावों को गैर कानूनी करार दिया गया।

अम्बेडकर ने दलितों के साथ महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सिविल सेवाओं, और नौकरियों में आरक्षण के लिए संविधान सभा का समर्थन भी हासिल किया भारत के विधि निर्माताओं ने इस सकारात्मक कार्यवाही के द्वारा दलित वर्गो के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और उन्हे हर क्षेत्र में अवसर प्रदान करने की चेष्टा की ।

अंत में हम इस निश्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र का वास्तविक उददेश्य जैसा अम्बेडकर जी चाहते थे आज तक प्राप्त नही किया जा सका क्यों कि आज का लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित हो कर रह गया है कभी ऐसा भी देखा गया है कि सरकार बनने के बाद उसका स्वरूप और कार्यशैली लोकतंत्रात्मक नही रह पाती इस सम्बंध में डा0 अम्बेडकर कहते हैं कि कोइ सरकार लोकतंत्रात्मक या

अलोकतंत्रात्मक होगी ये बात बड़ी सीमा तक इस पर निर्भर करती है कि कानून के प्रशासन को चलाने वाली लोकसेवा की मशीन कैसी है उनके अनुसार अच्छे शासन का मतलब अच्छा कानून और अच्छा प्रशासन है (मूनवसंत:2014 पृष्ठ 282)। आज सरकार प्रशासन और समाज तीनों को लोकतंत्रात्मक स्वरूप का होना समय की आवश्यक्ता है बिना इसे प्राप्त किये अम्बेडकर जी के लोकतंत्र का दर्शन नही हो सकता ।

सन्दर्भ–

- अग्रवाल आर.सी.(2010) भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन,नईदिल्लीः एस. चन्द पब्लिकेशन, पृष्ठ संख्या 259
- अम्बेडकर बी.आर.(1943) राना डे, गॉधी एण्ड जिन्ना नईदिल्लीः गौतम बुक सेंटर पृष्ठ संख्या 27
- धर्मवीर.(2015) डा0 अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार नईदिल्लीः वाणी प्रकाशन पृष्ठ संख्या 66
- धर्मवीर.(2015) डा0 अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार नईदिल्लीः वाणी प्रकाशन पृष्ठ संख्या 66
- धर्मवीर.(2015) डा0 अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार नईदिल्लीः वाणी प्रकाशन पृष्ठ संख्या 70
- धर्मवीर.(2015) डा0 अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार नईदिल्लीः वाणी प्रकाशन पृष्ठ संख्या 70
- धर्मवीर.(2015) डा0 अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार नईदिल्लीः वाणी प्रकाशन पृष्ठ संख्या 70
- धर्मवीर.(2015) डा0 अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार नईदिल्लीः वाणी प्रकाशन पृष्ठ संख्या 26
- धर्मवीर.(2015) डा0 अम्बेडकर के प्रशासनिक विचार नईदिल्ली : वाणी प्रकाशन पृष्ठ संख्या 30
- फाडिया बी.एल..(2012) भारतीय राजनीतिक चिन्तन आगराः साहित्य भवन पब्लिकेशन,पृष्ठ संख्या 168
- खन्ना मनुका.(2013) राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय संविधान लखनऊः न्यू रायल बुक कम्पनी पृष्ठ संख्या 101
- खन्ना मनुका.(2013) राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय संविधान लखनऊः न्यू रायल बुक कम्पनी पृष्ठ संख्या 101
- खन्ना मनुका.(2013) राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय संविधान लखनऊः न्यू रायल बुक कम्पनी पृष्ठ संख्या 101
- मूनवसंत.(2014) डा0 अम्बेडकर राइटिंग्स एण्ड स्पीचेज खण्ड 4 नईदिल्लीः डा0 अम्बेडकर फाउण्डेशन पृष्ठ 282